



File No. F. No. NESTS/Civil/EMRS-Contingency/167/2022-23

Date: 21-12-2022

To,
Commissioner/ Member Secretary,
Chhattisgarh EMRS Society.

Subject: Procedure to shift LT/HT Line/Pole

Ref: (i) EMRS/229 IV/ 2022-23/6592 dated 26-09-2022.
(ii) EMRS/229 IV/ 2021-22/8693 dated 11-02-2022
(iii) EMRS/229 IV/ 2021-22/6279 dated 03-12-2021
(iv) EMRS/229 IV/ 2021-22/ 7166 dated 30-12-2021
(v) NESTS/Civil/EMRS-Contingency/167/2021-22 dated 21-04-2022.

Dear Sir,


This is with respect to the above referred letters at (i), (ii), (iii) & (iv) received at NESTS regarding request for funds to shift LT/HT Lines/Poles passing through the demarcated area of Eklavya Model Residential School (EMRSs) in the State of Chhattisgarh.

In view of the above, it is to state that, with the approval of Competent Authority, a procedure has been adopted to shift LT/HT Lines/Poles passing through the demarcated area of EMRSs. The same has been given below for your kind perusal: -

1. The expenditure towards shifting of LT/HT Lines shall be charged to project estimate and same shall be made part of DPR (Detailed Project Report) within the approved A/A & E/S.
2. Wherever, DPR is approved, the expenditure towards shifting of HT/LT Poles may be charged to the project estimate (already sanctioned) on case-to-case basis provided adequate fund is available and the total project cost does not exceed the approved A/A & E/S. The PSU/Construction Agencies shall submit the proposal to NESTS in this regard.
3. The payment to the concerned Department/Electricity Company shall be made only when it is ensured that the land is demarcated and is free from all encumbrance (no forest issue & no any other hindrance to commence the work) as well as the contractor is in place to start work.

In this regard, a letter vide **NESTS/Civil/EMRS-Contingency/167/2021-22, dated 21.04.2022** as referred above at (v), has also been issued to the construction agencies apprising the above-mentioned procedure and the same is enclosed herewith for your information.

Yours sincerely,


21/12/22
(B.C. Raturi)

Joint Commissioner, NESTS

Copy to:

1. Secretary Tribal Welfare Department, Govt. of Chhattisgarh.
2. Zonal Manager, NPCC / WAPCOS for information & necessary action.
3. PS to Commissioner, NESTS, New Delhi
4. E-File.

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
(जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत
एक स्वायत्त संस्थान, भारत सरकार)
भू-तल, गेट नंबर-3ए, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूर. 011-23340280



National Education Society for Tribal Students

(An Autonomous Organization under
Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India)
Ground Floor, Gate No.3 A, Jeevan Tara Building,
Parliament Street, New Delhi-110001
Telephone No. 011-23340280
वेबसाइट/Website: www.tribal.nic.in
Email: nests-tribal@tribal.gov.in

F. No. NESTS/Civil/EMRS-Contingency/167/2021-22

Date:21.04.2022

To,

CMD/MD/CEO
TCIL/B & R/EPIL/NPCC/HSCL/WAPCOS/MANIDCO/MTDC

Sub: Construction of Ekalavya Model Residential School (EMRS)- Shifting of HT Poles/Lines reg.

Dear Madam/Sir,

During Scrutiny of Land Suitability, it is observed that there are HT/LT poles/lines passing through the land in 10 to 15% cases in almost all the States. The States has also requested to release the payment for shifting of HT/LT poles/lines. Such Proposals received from Odisha, Chhattisgarh, Meghalaya and Jharkhand State. The construction Agencies has also raised the issues and difficulty in construction due to pending shifting of HT/LT Lines/Poles.

In view of the above, with the approval of competent authority, following procedure is henceforth adopted.

1. The expenditure towards shifting of LT/HT Lines shall be charged to project estimate and same shall be made part of DPR (Detailed Project Report) within the approved A/A & E/S.
2. Wherever, DPR is approved, the expenditure towards shifting of HT/LT Poles may be charged to the project estimate (already sanctioned) on case-to-case basis provided adequate fund is available and the total project cost does not exceed the approved A/A & E/S. The PSU/Construction Agencies shall submit the proposal to NESTS in this regard.
3. The payment to the concerned Department/Electricity Company shall be made only when it is ensured that the land is demarcated and is free from all encumbrance (no forest issue & no any other hindrance to commence the work) as well as the contractor is in place to start work.

This is issues with the approval of the competent authority

Yours faithfully,


(K C Meena)

Additional Commissioner

Copy to:

1. The Principal Secretaries/Secretaries/Nodal Officer of the Tribal Welfare Development Department of State Government concerned please.
2. Nodal officer of State EMRS Society concerned
3. Nodal Officer, EMRS Works TCIL/ B & R /EPIL /NPCC /HSCL /WAPCOS /MANIDCO /MTDC
4. PS to Commissioner, NESTS
5. Guard File

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
--: इन्द्रावती भवन :-
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कमांक/EMRS/229-IV/2021-22/6279
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 03/12/2021

आयुक्त,
भारत सरकार,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS),
जीवन तारा बिल्डींग, संसद मार्ग-नई दिल्ली

विषय:- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए चिन्हांकित भूमि में
LT/HT लाइन के Shifting के व्यय के संबंध में ।

संदर्भ :- कार्या. पत्र कमांक/EMRS/229-IV/2021-22/3929, दिनांक 25.09.2021

--00--

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक कुल 50 एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें से 17 विद्यालय की भवन निर्माण हेतु WAPCOS को निर्माण एजेंसी तथा 33 विद्यालयों हेतु NPCC गुरुग्राम, हरियाणा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के जिन स्थानों पर LT/HT लाईन Passing है, जिसके हटाने हेतु विभाग में किसी प्रकार का राशि का प्रावधान नहीं है।

एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया से LT/HT Passing लाईन पास हो रहा है, जिसे हटाने हेतु जिलो द्वारा राशि की मांग की गई है। विवरण निम्नानुसार है :-
(छायाप्रति संलग्न)

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	विवरण	सी.एस.ई.बी. का प्राक्कलन राशि
1	सरगुजा	उदयपुर	रिखी	LT/HT Passing	326163.00
		बतौली	शिवपुर	LT/HT Passing	511176.00
2	बीजापुर	भोपालपटनम	रुद्राराम	11 KV line	441837.00
3	रायगढ़	घरघोड़ा	छर्टांगर	11 KV line	963329.00
	योग				2242505.00

कृपया उपरोक्त 04 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया से LT/HT Passing हटाने हेतु अनावर्ती मद अंतर्गत राशि रूप में 22,42,505/- लाख विमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती शर्मिष्ठा आबिदी)

आयुक्त/पदेन सचिव

छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति,

अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 03/12/2021

पृ. कमांक/EMRS/229-IV/2021-22/6280
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जीवन तारा बिल्डींग, संसद मार्ग-नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ0ग0 भासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त/पदेन सचिव

छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,

आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति,

अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आभ्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
 -:: इन्द्रावती भवन ::-
 अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Ph. No. 0771-2283708, Fax No.-2262558, www.tribal.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

कमांक/EMRS/229-IV/2021-22/8693
 प्रति,

नवा रायपुर दिनांक 12/2/2022

आयुक्त,
 भारतसरकार,
 जनजातीय कार्य मंत्रालय,
 राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS),
 जीवन तारा बिल्डींग, संसद मार्ग-नई दिल्ली

विषय:- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए चिन्हांकित भूमि में
LT/HT लाइन के Shifting के व्यय के संबंध में ।
संदर्भ :- 1.कार्या. पत्र कमांक/EMRS/229-IV/2021-22/6279, दिनांक 03.12.2021
 2.कार्या. पत्र कमांक/EMRS/229-IV/2021-22/7166, दिनांक 30.12.2021

--00--

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक कुल 50 एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें से 17 विद्यालय की भवन निर्माण हेतु WAPCOS को निर्माण एजेंसी तथा 33 विद्यालयों हेतु NPCC गुरुग्राम, हरियाणा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के जिन स्थानों पर LT/HT लाईन Passing है, जिसके हटाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। (छाया प्रति संलग्न है)

एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया से LT/HT Passing लाईन पास हो रहा है, जिसे हटाने हेतु जिलो द्वारा राशि की मांग की गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	विवरण	सी.एस.ई.बी. का प्राक्कलन राशि
1	सरगुजा	उदयपुर	रिखी	LT/HT Passing	326163.00
		बतौली	शिवपुर	LT/HT Passing	511176.00
2	बीजापुर	भोपालपटनम	रुद्राराम	11 KV line	441837.00
3	रायगढ़	घरघोड़ा	छर्तांगर	11 KV line	963329.00
4	उत्तर बस्तर	भानुप्रतापपुर	फरसकोट	LT/HT Passing	3,27,188.00
5	कांकेर	कांकेर	अँजनी	11 KV Line	4,16,915.00
6		नरहरपुर	सुरही	11 KV and LT Line	4,31,574.00
7	राजनांदगांव	मानपुर	ख्वासफड़की	11 KV Line	2,35,868.00
	योग				36,54,050.00

कृपया उपरोक्त 07 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया स LT/HT Passing हटाने हेतु शीघ्र राशि रूपये 36,54,050.00 लाख विमुक्त करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
 संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती शुष्मी आबिदी)

आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
 आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति,
 अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कमश.2

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/229 IV/2022-23/ 6592 नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2022
प्रति,

सचिव,

भारत सरकार,

जनजातीय कार्य मंत्रालय,

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS)

जीवन तारा बिल्डींग, संसद मार्ग, नई दिल्ली

विषय:- नवीन स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिये चिन्हांकित भूमि में LT/HT लाईन के Shifting के व्यय के संबंध में।

- संदर्भ- 1. कार्या. पत्र क्र./EMRS/229 IV/2021-22/8693 दिनांक 11.02.2022।
2. कार्या. पत्र क्र./EMRS/229 IV/2021-22/6279 दिनांक 03.12.2021
3. कार्या. पत्र क्र./EMRS/229 IV/2021-22/7166 दिनांक 30.12.2021।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक कुल 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से 17 विद्यालय के भवन निर्माण हेतु WAPCOS को निर्माण एजेंसी तथा 33 विद्यालयों हेतु NPCC को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि के जिन स्थानों में LT/HT लाईन पास हो रहे हैं, जिसे हटाने के प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)

एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया से LT/HT लाईन पास हो रहा है, जिसे हटाने हेतु जिलो द्वारा राशि की मांग की गई है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	विवरण	सी.एस.ई.बी. का प्राक्कलन राशि
1	सरगुजा	उदयपुर	रिखी	LT/HT Passing	326163.00
		बतौली	शिवपुर	LT/HT Passing	511176.00
2	बीजापुर	भोपालपटन्म	रुद्राराम	11 KV line	441837.00
3	रायगढ़	घरघोड़ा	छरटांगर	11 KV line	963329.00
4	उत्तर बस्तर	भानुप्रतापपुर	फरसकोट	LT/HT Passing	3,27,188.00
5	कांकेर	कांकेर	अँजनी	11 KV Line	4,16,915.00
6		नरहरपुर	सुरही	11 KV and LT Line	4,31,574.00
7	राजनांदगांव	मानपुर	ख्वासफड़की	11 KV Line	2,35,868.00
	योग				36,54,050.00

//02//

कृपया उपरोक्त 07 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया से LT/HT Passing Line हटाने हेतु शीघ्र राशि रुपये 36,54,050.00 लाख विमुक्त करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(शम्मी आबिदी)

आयुक्त/पदेम सचिव

छ०ग० राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं

आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, नवा रायपुर

पृ. क्रमांक/EMRS/229 IV /2022-23/ 6593 नवा रायपुर, दिनांक 26 /09 /2022
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त/पदेम सचिव

छ०ग० राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं

आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, नवा रायपुर

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-:: इन्द्रावती भवन ::-
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/EMRS/229-IV/2021-22/7166
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2021

आयुक्त,
भारत सरकार,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS),
जीवन तारा बिल्डींग, संसद मार्ग-नई दिल्ली

विषय:- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए चिन्हांकित भूमि में
LT/HT लाइन के Shifting के व्यय के संबंध में ।

---00---

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक कुल 50 एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें से 17 विद्यालय की भवन निर्माण हेतु WAPCOS को निर्माण एजेंसी तथा 33 विद्यालयों हेतु NPCC गुरुग्राम, हरियाणा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के जिन स्थानों पर LT/HT लाईन Passing है, जिसके हटाने हेतु विभाग में किसी प्रकार का राशि का प्रावधान नहीं है।

एकलव्य विद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया से LT/HT Passing लाईन पास हो रहा है, जिसे हटाने हेतु जिलो द्वारा राशि की मांग की गई है। विवरण निम्नानुसार है :-
(छायाप्रति संलग्न)

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	विवरण	सी.एस.ई.बी. का प्राक्कलन राशि
1	उत्तर	भानुप्रतापपुर	फरसकोट	LT/HT Passing	3,27,188.00
2	वस्तर	कांकेर	अँजनी	11 KV Line	4,16,915.00
3	कांकेर	नरहरपुर	सुरही	11 KV and LT Line	4,31,574.00
	योग				11,75,677.00

कृपया उपरोक्त 03 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि की एरिया से LT/HT Passing हटाने हेतु अनावर्ती मद अंतर्गत राशि रूपये 11,75,677.00 विमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती शम्मी अश्विनी)
आयुक्त/पदेन सचिव

छ०ग० राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2021

पृ. क्रमांक/EMRS/229-IV/2021-22/7167
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जीवन तारा बिल्डींग, संसद मार्ग-नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ०ग० शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त/पदेन सचिव

छ०ग० राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़